

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में,-

(i) प्रविष्टि 9ख की मद (क) में, "आवासीय" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि 23 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(23क). व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण (व्य.अं.नि.) के रूप में प्रतिफल पर क्षेत्रीय संयोजन स्कीम विमानपत्तन पर वायुयान द्वारा आरोहण या अवरोहण पर सामान सहित या रहित यात्रियों के परिवहन द्वारा सरकार को दी गई सेवाएं :

परंतु इस प्रविष्टि की कोई बात नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजन स्कीम विमानपत्तन के प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् लागू नहीं होगी।";

(iii) प्रविष्टि 26ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"26घ. केंद्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीमों के अधीन, क्रमशः सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्यों को सेना, नौसेना और वायुसेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध या उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमत जीवन बीमा कारबार की सेवाएं ;" ;

(iv) प्रविष्टि 30 के स्थान पर, उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2017 राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करता है, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"30. निम्नलिखित द्वारा निष्पादित सेवाएं,-

(i) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर को छोड़कर माल के विनिर्माण या उत्पादन के मद्दे कोई प्रक्रिया : या

(ii) फुटकर कार्य के रूप में ऐसी कोई मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया जो निम्नलिखित के संबंध में विनिर्माण या उत्पादन नहीं है--

(क) कृषि, मुद्रण या टेक्सटाइल प्रसंस्करण ;

(ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के अध्याय 71 के अधीन आने वाले कर्तित और पालिश किए हीरे और रत्न ; या स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं के सादे और जड़े हुए आभूषण ;

(ग) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर को छोड़कर कोई माल, जिस पर मूल निर्माता द्वारा समुचित शुल्क संदेय है ; या

(घ) किसी वित्तीय वर्ष में एक करोड़ पचास लाख रुपए की विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं की कराधेय सेवा के किसी संकलित मूल्य तक साइकिल या सिलाई मशीन के पुर्जों के विनिर्माण के अनुक्रम में विद्युत लेपन, जस्ता लेपन, एनोडीकरण, ताप उपचारित, चूर्ण विलेपन, रंगसाजी जिसमें फुहार या स्वतः काला होना भी है की संक्रियाएं इस शर्त के अधीन रहते हुए कि जिसका कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था ;"।

2. पैरा 2 में खंड (म) के पश्चात् निम्नलिखित खंड उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(मक) "माल के विनिर्माण या उत्पादन के समान प्रक्रिया" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिस पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 और औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) के अधीन उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है या अफीम, भारतीय भांग और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक के विनिर्माण के समान कोई प्रक्रिया जिन पर उत्पाद-शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय है ;"।

3. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 5/2017-सेवा कर, तारीख 30 जनवरी, 2017 द्वारा जो सा.का.नि. 72(अ), तारीख 30 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।